GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 22nd August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : शासन	जनगणना के दौरान जाति गणना करने की केंद्र की योजना
Page 03 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	हाथियों का पहला जत्था दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए मैसूर की यात्रा पर रवाना
Page 04 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पीएम ने पोलैंड की यात्रा शुरू की, कहा कि इससे और अधिक जीवंत संबंध बनाने में मदद मिलेगी
Page 06 Syllabus : GS 3 : शासन और सामाजिक न्याय	'डब्ल्यूएचओ मेघालय में संदिग्ध नए पोलियो स्ट्रेन की जांच कर रहा है'
समाचार में स्थान	कच्छ के बन्नी घास के मैदान
Page 09 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 3 : सामाजिक न्याय - स्वास्थ्य	आयात से भारतीय फार्मा कमजोर
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: आर्कटिक परिषद

Page : 01 : GS 2 : Governance

राजनीतिक दलों की मांग के बीच केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाए या नहीं।

- हालांकि, आजादी के बाद से जाति-वार जनसंख्या गणना नहीं की गई है, लेकिन 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना जैसे पिछले प्रयास गलत पाए गए, जिससे जनगणना में और देरी हुई।

Centre plans to take caste count during Census

A column on caste in the survey form is being considered, says a top government source; move comes amid persistent demands from Congress and other parties; the Census, last held in 2011 and scheduled to be completed in two phases, remains indefinitely delayed; demand to conduct caste census one of the reasons for the delay, says the source

Vijaita Singh
NEW DELHI

The Union government is yet to take a call on conducting the next Census, but active discussion is on to expand the data collection to include caste enumeration, a top government source told *The Hindu*.

"Discussions are on to include a column to record the caste of people during the next Census exercise. No decision has been taken yet," the source said.

The move comes amid persistent demands by the Congress and other political parties, including partners in the ruling National Democratic Alliance, to record caste.

"One of the reasons that has indefinitely delayed the Census is also the demand by political parties to conduct a caste census. Any wrong narrative can upset the whole exercise," the source said.

Other than enumerating the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), a caste-wise count of population as part of the Census has not been done in Independent India.

In 2011, the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) conducted the first-ever caste count, separate from the Census exercise, but the findings were never made public.

In 2021, the Union government submitted an affidavit in the Supreme Court that the caste data enumerated in the Socio-Economic and Caste Census (SECC) of 2011 was fraught with "mistakes and inaccuracies".

The total number of castes, according to the 1931 Census, was 4,147 and the SECC compiled more than 46 lakh castes, sub-castes and names.

"Assuming that some castes may bifurcate into sub-castes, the total number cannot be exponentially high to this extent," the affidavit read, adding that the data cannot be relied on for reservation in education, employment or elections to local authorities.

The Census, last held in 2011, was scheduled to be undertaken in two phases: houselisting and housing schedule in 2020 and population enumeration in 2021, but it was indefinitely delayed, initially due to the COVID-19 pandemic. The National Population Register (NPR) is also to be updated simultaneously with the first phase of the Census.

The next Census will also be the first digital Census where respondents will have the option to fill the questionnaire on their own.

Lapsed deadline

The deadline to freeze administrative boundaries of districts, tehsils, towns and municipal bodies, among others, lapsed on June 30 this year. The order to freeze the boundaries, usually issued three months before the first phase of Census, has been extended 10 times since 2019.

Bihar was one of the first States to conduct and publish a caste census report in 2023. Collected in offline and digital modes, the enumerators were given a list of 215 categories, from which people had to choose their caste.

Earlier in 2015, the Congress government in Karnataka commissioned a caste census, the report of which has not been made public so far.

The 31 questions for the first phase – houselisting and housing schedule – were notified on January 9, 2020.

As many as 28 questions have been finalised for the second phase – population enumeration – but are yet to be notified. The final set of questions for both the phases were asked during a pre-test exercise in 2019 in 76 districts in 36 States and Union Territories, covering a population of more than 26 lakh.

Past attempts

Other than enumeration of SCs and STs, the caste-wise count of population as part of the Census has not been done in Independent India

- In 2011, the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) conducted the first-ever caste count, separate from the Census exercise, but the findings were never made public
- In 2015, the Congress government in Karnataka commissioned a caste census, the report of which has not been made public

- Bihar was one of the first States to conduct and publish a caste census report in 2023

जनगणना में जाति गणना के लिए चल रही चर्चाएँ

- केंद्र सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रही है कि अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाए या नहीं।
- सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति जनगणना की माँग उठाई जा रही है।
- जनगणना में जाति डेटा शामिल करने के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ और पिछले प्रयास

- स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर जाति-वार जनसंख्या गणना नहीं की है।
- 2011 में एक अलग जाति जनगणना की गई थी, लेकिन इसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया और डेटा गलत पाया गया।
- 1931 की जनगणना में 4,147 जातियाँ दर्ज की गईं, जबकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) में 46 लाख से अधिक जातियों और उप-जातियों की पहचान की गई।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- जाति डेटा में त्रुटियों के बारे में चिंताओं के कारण सरकार ने 2011 की जाति गणना को अविश्वसनीय घोषित कर दिया।

- जाति जनगणना के लिए राजनीतिक दलों की मांगों ने जनगणना में देरी में योगदान दिया है।

डिजिटल और विलंबित जनगणना

- आगामी जनगणना, जो मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित थी, महामारी और अन्य कारकों के कारण विलंबित हो गई।
- यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें उत्तरदाताओं को प्रश्नावली ऑनलाइन भरने की अनुमति होगी।
- प्रशासनिक प्रभागों के लिए सीमा स्थिरीकरण की समय सीमा कई बार बढ़ाए जाने के बाद 30 जून, 2024 को समाप्त हो गई।

राज्यों में जाति जनगणना पहल

- बिहार ने 2023 में अपनी जाति जनगणना पूरी की और प्रकाशित की।
- कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों ने भी जाति जनगणना की, लेकिन उनकी रिपोर्ट अप्रकाशित रही।

जाति जनगणना से जुड़े लाभ और चुनौतियाँ:

- जाति जनगणना के संभावित लाभ सूचित नीति निर्माण: असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है।
  o बढ़ी हुई सकारात्मक कार्रवाई: हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आरक्षण कोटा और संसाधन आवंटन की बेहतर योजना बनाने में मदद करता है।
  o सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: विभिन्न जाति समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने में मदद करता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता में सुधार होता है।
  o डेटा-संचालित निर्णय लेना: सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
  o संबंधित चुनौतियाँ डेटा सटीकता: जाति डेटा में अशुद्धि और गलत वर्गीकरण का जोखिम, जिससे अविश्वसनीय आँकड़े बनते हैं।
  o राजनीतिक संवेदनशीलता: जाति डेटा का राजनीतिक लाभ के लिए या जाति-आधारित विभाजन को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग किए जाने की संभावना।
  o प्रशासनिक जटिलता: विस्तृत जाति डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने का प्रशासनिक बोझ और लागत में वृद्धि।
  o कुछ समूहों का प्रतिरोध: उन समूहों का विरोध जो मानते हैं कि जाति गणना सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है।

Page 03 : Prelims fact

अक्टूबर में मैसूर दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले नौ सजे-धजे हाथियों के पहले जत्थे ने बुधवार को नागरहोल टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाके में स्थित वीरानाहोसाहल्ली गेट से शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की।

First batch of elephants begins journey to Mysuru to take part in Dasara festivities

The Hindu Bureau
MYSURU

Traditional ceremony: Elephants start from Veeranahosahalli gate in Nagarahole Tiger Reserve. PTI

The first batch of nine caparisoned elephants that will take part in the Mysuru Dasara festivities in October began their journey from the Veeranahosahalli gate on the outskirts of the Nagarahole Tiger Reserve to the city on Wednesday.

Signalling the countdown to the Dasara celebrations, the elephants led by 58-year-old tusker Abhimanyu, who is slated to carry the golden howdah during the *Jamboo Savari*, embarked on 'Gajapayana' - the stately march from the jungle camps to the city of palaces.

The event where the elephants were accorded ceremonial reception was witnessed by a large number of people, as the occasion set the ball rolling for the celebrations that commence from October 3.

With the mahouts on their back, the elephants marched a distance before boarding separate trucks for Mysuru.

All nine jumbos arrived here traversing a distance of 70 km and are camping at the Aranya Bhavan campus.

The elephants will enter the palace on August 23.

मैसूर दशहरा के बारे में

- मैसूर दशहरा या मैसूरु दशहरा कर्नाटक राज्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। त्योहार के पीछे किंवदंती है कि एक हिंदू देवी जिसका नाम दुर्गा (चामुंडेश्वरी / चामुंडेश्वरी) है, ने त्योहार के 10वें दिन राक्षस महिषासुर या महिषासुरन को हराया था जिसे विजयदशमी कहा जाता है।
- यह 10 दिवसीय त्योहार, जो दसवें दिन यानी विजयदशमी (विजयादशमी) को समाप्त होता है, पिछले 9 दिनों के सफल समापन का प्रतीक है। त्योहार के पहले के नौ दिनों को "नवरात्रि" (9 रातें) कहा जाता है, इनमें से प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक रूप को समर्पित है।

दिन	देवी का नाम
पहला	शैलपुत्री
दूसरा	ब्रह्मचारिणी

तीसरा	चंद्रघंटा
चौथा	कुष्मांडा
पांचवां	स्कंदमाता
छठा	कात्यायनी
सातवां	कालरात्रि
आठवां	महागौरी
नौवां	सिद्धिदात्री

- दसवें दिन मैसूर पैलेस से शुरू होकर बन्नीमंतप पर समापन के लिए एक शानदार भव्य जुलूस निकाला जाता है।
- मैसूर दशहरा को नादाहब्बा या नाडा हब्बा भी कहा जाता है और इसे कर्नाटक में एक राज्य उत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य समारोह मैसूर के शाही परिवार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। मैसूर दशहरा के दौरान, पूरे शहर को सजाया जाता है और रोशनी की जाती है।
- इस उत्सव में कई दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:
    - कुश्ती,
    - कवि सम्मेलन,
    - खाद्य महोत्सव,
    - खेल,
    - फिल्म महोत्सव, आदि।
- मेले और प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाती हैं जो त्यौहार के आसपास कई महीनों तक चलती हैं और दशहरा के दिन अपने चरम पर होती हैं। कर्नाटक प्रदर्शनी प्राधिकरण त्यौहार का आयोजन करता है जहाँ कई व्यवसाय, सरकारी विभाग, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्योग स्टॉल लगाकर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।
- मैसूर दशहरा त्यौहार का एक और संस्करण है जिसे पूरे देश में थोड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात की नवरात्रि और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भी इस हिंदू त्यौहार के अन्य प्रसिद्ध संस्करण हैं।

UPSC Mains PYQ : 2017

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

परंपराएँ : समुदाय

1. चालिहा साहिब उत्सव - सिंधी
2. नंदा राज जात यात्रा - गोंड
3. वारी-वारकरी - संथाल

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a)

Page 04 : GS 2 : International Relations : Bilateral Groupings & Agreements

यह 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है; मोदी वारसॉ में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे; नवानगर के जाम साहब के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे तथा द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय और पोलिश सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे।

PM begins Poland visit, says it will help forge more vibrant relations

It is the first visit by an Indian Prime Minister in 45 years; Modi interacts with the Indian diaspora in Warsaw; pays homage to Jam Saheb of Nawanagar at his memorial and to Indian and Polish soldiers who fought in the Second World War

Dinakar Peri
WARSAW

Warm welcome: Prime Minister Narendra Modi being received by Poland's Deputy Foreign Minister Władysław T. Bartoszewski on his arrival in Warsaw on Wednesday. ANI

Prime Minister Narendra Modi arrived in Warsaw on Wednesday, the first visit by an Indian Prime Minister to Poland in 45 years.

Mr. Modi expressed confidence that the visit will serve as a "natural continuation of extensive contacts" between the two countries and help create the foundation for stronger and more vibrant relations in the years ahead. He will visit Ukraine next.

"My visit to Poland comes as we mark 70 years of our diplomatic relations. Poland is a key economic partner in Central Europe. Our mutual commitment to democracy and pluralism further reinforces our relationship. I look forward to meeting my friend Prime Minister Donald Tusk and President Andrzej Duda to further advance our partnership. I will also engage with the members of the vibrant Indian community in Poland," Mr. Modi said in a statement before he emplaned for Poland.

Mr. Modi landed in Warsaw around 2 p.m. and was welcomed by members of the Indian community as he arrived at the hotel. There was a *Garbha* performance by an Indo-Polish group. One community member, Sahiba Patni, an entrepreneur based in London, flew down just to see Mr. Modi.

In his first engagement, Mr. Modi laid a wreath at the memorial to Jam Saheb Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja of Nawanagar, Gujarat who provided sanctuary to over 1,000 Polish students in the 1940s. In his honour, a square in the heart of Warsaw has been named "Dobrego Maharadzy" or "Good Maharaja Square".

Mr. Modi later paid homage at the monument for the Battle of Monte Cassino. The monument honours Indian and Polish soldiers who fought in the battle that took place in Italy between January and May 1944 and was one of the defining battles of the Second World War.

Mr. Modi also laid a wreath at the Kolhapur memorial at the same location and also interacted with those who found shelter in India in the 1940s and their family members.

The Battle of Monte Cassino was one of the major battles fought and won by the Polish forces (as part of the larger Allied powers) in Italy against the Axis forces, said Krzysztof Iwanek, an Indologist and Asia Coordinator at the Warsaw-based Foundation Institute for Eastern Studies.

"It is remembered as one of the glorious moments in the history of Polish military. Altogether, I think it is a good place for India's PM to pay his respects," he told *The Hindu*.

On the significance of Mr. Modi's visit to Poland, Mr. Iwanek observed that this visit, as he understands, will have main two angles. "New Delhi's balancing act between the West and Russia (as PM Modi visited Russia recently and will visit Ukraine after Poland)," he said.

"As far as the second aspect is concerned, I would hope that opportunities for deepening trade and investments will be discussed, especially with Poland being a part of the EU, and the EU being currently in negotiations with India regarding a possible investment deal and a separate FTA deal," he added.

पोलैंड के बारे में:

- यह मध्य यूरोप में स्थित एक देश है।
- सीमाएँ:
  o पोलैंड की सीमाएँ सदियों में कई बार बदली हैं। इसकी वर्तमान सीमाएँ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद निर्धारित की गई थीं।
  o पोलैंड के सात पड़ोसी हैं: जर्मनी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रूस।
  o इसमें उत्तर में बाल्टिक सागर तट के रेतीले समुद्र तटों और दक्षिण में कार्पेथियन और सुडेटन पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर मध्य की निचली भूमि तक कई तरह के आकर्षक परिदृश्य हैं।

- **इतिहास:**
  o 1795 में, पोलैंड पर विजय प्राप्त की गई और इसे रूस, प्रशिया (अब जर्मनी) और ऑस्ट्रिया के बीच विभाजित किया गया।
  o पोलैंड 123 वर्षों तक एक देश के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा।
  o 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पोलैंड को एक देश के रूप में बहाल किया गया। लेकिन सिर्फ़ 21 साल बाद, जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड को अपने बीच विभाजित करने के इरादे से हमला किया।
  o आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया।
- नाजी जर्मनी के पतन के साथ, पोलैंड ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता खो दी, और सोवियत संघ का एक साम्यवादी उपग्रह राज्य बन गया।
- लगभग आधी सदी तक अधिनायकवादी शासन चला, हालांकि पोलैंड के श्रमिकों की ओर से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने असंतुष्ट कैथोलिक चर्च द्वारा समर्थित होकर सोवियत प्रणाली की आर्थिक विफलताओं पर सवाल उठाया।
- 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, डांस्क के शिपयार्ड से शुरू होकर, उन श्रमिकों ने सॉलिडैरिटी (सॉलिडर्नोस) नामक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का गठन किया।
- मई 1989 में, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के साथ-साथ पोलिश सरकार भी गिर गई, जिससे पोलैंड का लोकतंत्र में तेजी से परिवर्तन शुरू हुआ।

- राजधानी: वारसॉ
- आधिकारिक भाषा: पोलिश
- मुद्रा: ज़्लोटी
- क्षेत्रफल: 312,685 वर्ग किमी.
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ: कार्पेथियन, सुडेटेंस
- प्रमुख नदियाँ: विस्तुला, ओडर
- पूरे देश में पोलैंड में 1,300 से अधिक झीलें हैं।

सरकार का स्वरूप:

o पोलैंड एक संसदीय गणराज्य है जिसमें प्रधानमंत्री होता है जो सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्रपति होता है जो राज्य का मुखिया होता है।
o सरकार की संरचना मंत्रिपरिषद पर केंद्रित होती है।
o यह नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) और यूरोपीय संघ (ईयू) दोनों का सदस्य है।

UPSC Prelims PYQ : 2023

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. बुल्गारिया
2. चेक गणराज्य
3. हंगरी
4. लातविया
5. लिथुआनिया
6. रोमानिया

उपर्युक्त देशों में से कितने देश यूक्रेन के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं?

a) केवल दो
b) केवल तीन
c) केवल चार
d) केवल पाँच

उत्तर: a)

GEO IAS
It's about quality

Page 06 : GS 2 : Governance and Social Justice : Government Policies & Interventions and Health

हाल ही में, मेघालय के टिकरीकिला में दो वर्षीय बच्चे में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो के मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह जंगली पोलियोवायरस नहीं है, बल्कि कम प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में देखा जाने वाला संक्रमण है।

- भारत की पोलियो-मुक्त स्थिति: भारत को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा पोलियो-मुक्त घोषित किया गया था, जिसमें 2011 में अंतिम जंगली पोलियोवायरस मामला दर्ज किया गया था।

वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो (VDPV) को समझना

o वैक्सीन संरचना: ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में पोलियोवायरस का एक कमजोर रूप होता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है।

o cVDPV विकास: दुर्लभ अवसरों पर, कम-प्रतिरक्षित आबादी में, उत्सर्जित वैक्सीन वायरस प्रसारित हो सकता है, आनुवंशिक परिवर्तनों से गुजर सकता है, और संभावित रूप से पक्षाघात पैदा करने में सक्षम रूप में वापस आ सकता है। इसे परिसंचारी वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (cVDPV) के रूप में जाना जाता है।

o वैश्विक संदर्भ: 2000 से, दुनिया भर में OPV की 10 बिलियन से अधिक खुराकें दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 21 देशों में 24 cVDPV प्रकोप हुए हैं, जिनमें 760 से कम मामले हैं।

o रोकथाम: cVDPV संचरण को रोकने के लिए, WHO उच्च गुणवत्ता वाले टीकाकरण अभियानों के कई दौर की सिफारिश करता है।

पोलियो के बारे में मुख्य तथ्य:

o पोलियो अवलोकन: पोलियो एक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके अपरिवर्तनीय पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है।

o जंगली पोलियोवायरस उपभेद: जंगली पोलियोवायरस के तीन अलग-अलग उपभेद हैं:

o जंगली पोलियोवायरस टाइप 1 (WPV1)

o जंगली पोलियोवायरस टाइप 2 (WPV2)

o जंगली पोलियोवायरस टाइप 3 (WPV3)

'WHO investigating suspected new polio strain in Meghalaya'

Health Department officials in Meghalaya have been on high alert since a poliomyelitis case was diagnosed in a two-year-old child from Tikrikilla

The Hindu Bureau
GUWAHATI

Meghalaya Health Minister Mazel Ampareen Lyngdoh on Wednesday said the World Health Organization (WHO) was conducting a thorough investigation to determine if a new strain of polio has infected a two-year-old child at Tikrikilla in West Garo Hills district of the State.

Though the State government is awaiting the sample test reports from laboratories in Kolkata and Mumbai, the Union Health Ministry said the child's case was not that of wild polio but a vaccine-derived infection that presents in some people with low immunity. The test reports are expected by the end of the week.

"Another case has apparently been identified in some other State. It is a different strain of polio to my understanding but WHO is investigating the case further for certainty," Dr. Lyngdoh said.

She said the State government and the Health Department had been closely monitoring the situation at Tikrikilla, where people have a history of opposing vaccination. "The child is under observation and we are in touch with the family. The doctors attending to the child said the child is okay," she said, observing that the case may impact vaccination efforts in the future. The Minister did not rule out the possibility of the WHO issuing an advisory if the new strain is confirmed. The WHO declared India polio-free in 2014 after the last case of wild poliovirus was reported in 2011.

Health officials in Meghalaya have been on high alert after the emergence of the poliomyelitis case from Tikrikilla.

While the oral polio vaccine has helped eliminate wild polio, the live virus in the vaccine can mutate and lead to vaccine-derived poliovirus, which can cause polio in unvaccinated individuals or in areas with low immunisation coverage.

The WHO declared India polio-free in 2014 after the last case of wild poliovirus was reported in 2011. C. VENKATACHALAPATHY

o हालांकि लक्षण समान हैं, प्रत्येक उपभेद में आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर हैं, जिसके लिए अलग-अलग उन्मूलन प्रयासों की आवश्यकता होती है।

- संचरण: वायरस मुख्य रूप से फेकल-ओरल मार्ग से फैलता है और आंत में गुणा कर सकता है, जहां यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है। यह मुख्य रूप से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।

उपलब्ध टीके:

- ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी): जन्म के समय दी जाने वाली खुराक, उसके बाद 6, 10 और 14 सप्ताह पर तीन प्राथमिक खुराक और 16-24 महीने पर बूस्टर खुराक।
- इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (आईपीवी): यह वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) के तहत तीसरे डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) वैक्सीन के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दी जाती है।

UPSC Prelims PYQ : 2016

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मिशन इंद्रधनुष' किससे संबंधित है:

(a) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण
(b) देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण
(c) अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की भारत द्वारा स्वयं की खोज
(d) नई शिक्षा नीति

उत्तर: a)

GEO IAS
It's about quality

Location In News : Banni Grasslands of Kachchh

कच्छ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में स्थायी चरागाह बहाली के लिए बन्नी के विभिन्न क्षेत्रों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें पारिस्थितिक मूल्य प्राथमिक मानदंड था।

बन्नी घास के मैदानों का जीर्णोद्धार: अध्ययन के मुख्य बिंदु

हालिया अध्ययन:

- उद्देश्य: के.एस.के.वी. कच्छ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में स्थायी घास के मैदानों की बहाली के लिए बन्नी में विभिन्न क्षेत्रों की उपयुक्तता का आकलन किया गया, जिसमें पारिस्थितिक मूल्य प्राथमिक मानदंड था।
- जीर्णोद्धार की आवश्यकता: मूल रूप से लगभग 3,800 वर्ग किलोमीटर में फैले बन्नी घास के मैदान सिकुड़कर लगभग 2,600 वर्ग किलोमीटर रह गए हैं।
- बहाली क्षेत्रों की श्रेणियाँ: शोधकर्ताओं ने बहाली की उपयुक्तता के आधार पर घास के मैदान को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया:
  - o अत्यधिक उपयुक्त: 937 वर्ग किमी (36%)
  - o उपयुक्त: 728 वर्ग किमी (28%)
  - o मध्यम रूप से उपयुक्त: 714 वर्ग किमी (27%)
  - o मामूली रूप से उपयुक्त: 182 वर्ग किमी (7%)
  - o अनुपयुक्त: 61 वर्ग किमी (2%)
- पुनर्स्थापना क्षमता: बन्नी घास के मैदानों के लगभग दो-तिहाई हिस्से को बनाने वाले “अत्यधिक उपयुक्त” और “उपयुक्त” क्षेत्रों को पर्याप्त जल स्रोत प्रदान करके आसानी से बहाल किया जा सकता है।

बन्नी घास के मैदानों के बारे में:

- बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक नमक-सहिष्णु पारिस्थितिकी तंत्र है, जो लगभग 3,847 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
- इसे एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान (TOI) कहा जाता है। जलवायु शुष्क और अर्ध-शुष्क है, जिसमें बहुत गर्म ग्रीष्मकाल (45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान) और हल्की सर्दियाँ (12 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस) होती हैं, मुख्य रूप से मानसून के दौरान 300-400 मिमी वार्षिक वर्षा होती है।
- यह मालधारी जैसे चरवाहे समुदायों द्वारा बसा हुआ है, जो अपनी आजीविका के लिए पशुधन चराई (मवेशी, भैंस और भेड़) पर निर्भर हैं।
- शुष्क परिस्थितियों के कारण कृषि सीमित है, कुछ क्षेत्रों का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है।
- वनस्पति: डाइकैंथियम, स्पोरोबोलस और सेंचरस प्रजातियाँ जैसी घास, नमक-सहिष्णु पौधे, झाड़ियाँ और बबूल और आक्रामक प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे पेड़।
- जीव: भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजहंस और विभिन्न शिकारी पक्षी, सरीसृप और अकशेरुकी।

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: सवाना की वनस्पति में घास के मैदान होते हैं, जिनमें छोटे-छोटे पेड़ बिखरे होते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में कोई पेड़ नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास को आम तौर पर एक या अधिक या कुछ स्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं?

1. बिल खोदने वाले जानवर और दीमक
2. आग
3. चरने वाले शाकाहारी
4. मौसमी वर्षा
5. मिट्टी के गुण

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(a) 1 और 2
(b) 4 और 5
(c) 2, 3 और 4
(d) 1, 3 और 5

उत्तर: c)

Imports weaken Indian pharma

Biswajit Dhar

Distinguished Professor, Council for Social Development, New Delhi

K.M. Gopakumar

legal advisor and senior researcher, Third World Network

Chetali Rao

Consultant, Third World Network

Ensuring the affordability of pharmaceuticals is essential for controlling healthcare costs, especially in India, where out-of-pocket health expenditures accounted for nearly 47.1% of the total health expenditure in 2021. While the Drugs Price Control Order, 2013, aims to regulate the prices of existing medicines, a better option is to establish a competitive environment for critical medicines by promoting local production. However, the government has taken two initiatives to meet domestic requirements through imports, which could have a chilling effect on the domestic industry.

The first was a Department of Expenditure (DoE) order permitting the Ministry of Health to procure 120 medicines through global tenders to supply Union government schemes. This list includes several top-selling anti-diabetes medicines and anti-cancer drugs. Currently, the companies selling these medicines enjoy a market monopoly in India, largely due to patent protection, regulatory barriers, or both. Moreover, for over 40 of these 120 medicines, the DoE order specifies a specific brand to be procured, implying that monopoly control of foreign companies would be enhanced.

Secondly, the 2024-25 Union Budget proposed removing the 10-12% customs duty on three cancer medicines marketed by AstraZeneca, ostensibly to reduce their prices. Given that some of these medicines are priced extremely high, the proposed import duty reduction would contribute little towards making them affordable.

These measures could seriously disincentivise domestic producers, making the country dependent on imports. More importantly, they could reinforce two entry barriers faced by the domestic industry, namely, the product patent regime and the regulatory guidelines for marketing approval of bio-therapeutics.

> Reliance on imports could have a chilling effect on the pharmaceutical industry, weakening its ability to remain relevant

New medicines are generally under patent protection, preventing Indian companies from producing affordable generics/biosimilars. Meanwhile, regulatory guidelines, which impose costly and time-consuming requirements for obtaining marketing approval of biosimilars, can adversely affect domestic producers. However, both these entry barriers can be overcome through proactive government action. The Patents Act has several public interest provisions which can be invoked to promote local production. Similarly, regulatory guidelines for marketing approval of bio-therapeutics can be suitably amended to reduce the burden on domestic companies.

Section 83 of the Patents Act states that "patents are granted to encourage inventions and to secure that the inventions are worked in India on a commercial scale and to the fullest extent that is reasonably practicable without undue delay" and that "they are not granted merely to enable patentees to enjoy a monopoly for the importation of the patented article". It also states, "Patents are granted to make the benefit of the patented invention available at reasonably affordable prices to the public". Substantive provisions enforce these key assertions, ensuring that while patent holders are guaranteed their rights under the Act, they cannot act in a manner that is prejudicial to the public interest.

If a patented medicine is "not available to the public at a reasonably affordable price," compulsory licences (CL) can be granted to any company willing to make the product in India. Issuing CL is the most effective remedy to ensure affordability of medicines but it was issued only once. This was when the originator company was charging nearly three lakh for a medicine. Using CL, an Indian company produced for ₹8,000. However, despite the high prices of medicines, the Patent Office has not issued CL for any other medicine. The government opposed granting CL even during the COVID-19 pandemic. This is in stark contrast to the stance of the U.S. government, which granted licences on multiple patents during the pandemic.

India's Patents Act also permits the granting of government-use licences. Section 100 states, "patents granted do not in any way prohibit Central government in taking measures to protect public health". Provisions under this section allow for the granting of government-use licences to enable domestic production of generic versions of patented medicines.

Biosimilar guidelines

The guidelines for marketing approval of biosimilars in India are not only obsolete but also resource and time-intensive. For instance, the current guidelines require mandatory animal studies, which are no longer necessary even in developed countries with stringent regulatory standards, including the U.S. and the EU. Further, the WHO guidelines and the U.K. guidelines, for biosimilar marketing approval, treat clinical trial requirements as an exception rather than a rule, whereas the Indian guidelines still insist on mandatory clinical trials. These requirements create another barrier for Indian producers. In a recent press release, the International Generic and Biosimilar Medicines Association stated that "savings in time and resources from eliminating these duplicative requirements could have a meaningful impact on patient access."

The proposed duty waiver on cancer medicines and global tendering for critical medicines undermine Parliament's directives to improve access and affordability of medicines through domestic production, using the provisions of the Patents Act. Reliance on imports could have a chilling effect on the pharmaceutical industry, weakening its ability to remain relevant. The government needs to review its recent decisions, but more crucially, align its policies to support the growth of the domestic pharmaceutical industry.

GS Paper 03 : सामाजिक न्याय – स्वास्थ्य

(UPSC CSE (M) GS-3 : 2019) भारत सरकार पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को दवा कम्पनियों द्वारा पेटेंट किये जाने से कैसे बचा रही है? (150 words/10m)

Mains Practice Question : भारत में घरेलू दवा उद्योग पर हाल की सरकारी नीतियों के प्रभाव पर चर्चा करें, विशेष रूप से वैश्विक निविदा और सीमा शुल्क छूट के संदर्भ में। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और दवा की सामर्थ्य सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (250 Words)

संदर्भ :

- हाल की सरकारी नीतियाँ, जैसे कि आवश्यक दवाओं के लिए वैश्विक निविदा और कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाना, भारत के घरेलू दवा उद्योग को कमजोर कर सकती हैं।
- ये उपाय स्थानीय उत्पादन को हतोत्साहित कर सकते हैं, आयात पर निर्भरता बढ़ा सकते हैं और पेटेंट अधिनियम के माध्यम से सस्ती, स्थानीय रूप से उत्पादित दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी प्रयासों का खंडन कर सकते हैं।

परिचय

- भारत में स्वास्थ्य सेवा लागत को नियंत्रित करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स की सामर्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जहाँ 2021 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 47.1% आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय था।
- जबकि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013, दवा की कीमतों को नियंत्रित करता है, महत्वपूर्ण दवाओं के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना एक बेहतर रणनीति हो सकती है।
- हालाँकि, आयात के माध्यम से घरेलू दवा की माँगों को पूरा करने की हाल की सरकारी पहल घरेलू दवा उद्योग को नुकसान पहुँचा सकती है।

सरकारी पहल और घरेलू उद्योग पर पहल का प्रभाव:

1. दवाओं के लिए वैश्विक निविदा

o व्यय विभाग (DoE) ने स्वास्थ्य मंत्रालय को केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए वैश्विक निविदाओं के माध्यम से 120 दवाएँ खरीदने की अनुमति दी।

o इस सूची में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मधुमेह रोधी और कैंसर रोधी दवाएँ शामिल हैं, जिन पर वर्तमान में पेटेंट सुरक्षा या विनियामक बाधाओं के कारण भारत में कुछ खास कंपनियों का एकाधिकार है।

o इनमें से 40 से ज़्यादा दवाओं के लिए, DoE ने एक खास ब्रांड को निर्दिष्ट किया है, जिससे भारतीय बाज़ार में विदेशी कंपनियों की एकाधिकार शक्ति बढ़ने की संभावना है।

2. कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाना

o 2024-25 के केंद्रीय बजट में एस्ट्राजेनेका द्वारा विपणन की जाने वाली तीन कैंसर दवाओं पर 10-12% सीमा शुल्क हटाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि उनकी कीमतें कम की जा सकें।

o इन दवाओं की उच्च लागत को देखते हुए, इस शुल्क छूट का उनकी सामर्थ्य पर कम से कम प्रभाव पड़ने की संभावना है।

3. घरेलू उद्योग पर प्रभाव

o ये उपाय स्थानीय उत्पादन को हतोत्साहित कर सकते हैं और भारत को आयात पर अधिक निर्भर बना सकते हैं, जिससे घरेलू दवा उद्योग कमज़ोर हो सकता है।

o इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को दो महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है: उत्पाद पेटेंट व्यवस्था और बायोसिमिलर विपणन अनुमोदन के लिए विनियामक दिशानिर्देश।

बायोसिमिलर दिशानिर्देश क्या हैं?

1. उत्पाद पेटेंट व्यवस्था

o नई दवाइयाँ आम तौर पर पेटेंट संरक्षण के अंतर्गत होती हैं, जो भारतीय निर्माताओं को सस्ती जेनेरिक या बायोसिमिलर बनाने से रोकती हैं।

o पेटेंट अधिनियम में जनहित प्रावधान शामिल हैं, जिनका उपयोग स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनका कम उपयोग किया जाता है।

2. बायोसिमिलर के लिए विनियामक दिशा-निर्देश

o बायोसिमिलर के विपणन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारत के विनियामक दिशा-निर्देश संसाधन-गहन और पुराने हैं।

o उन्हें अनावश्यक पशु और नैदानिक अध्ययनों की आवश्यकता होती है, जिससे घरेलू निर्माताओं के लिए अतिरिक्त बाधाएँ पैदा होती हैं।

पेटेंट अधिनियम के तहत प्रावधान

1. अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL)

o पेटेंट अधिनियम की धारा 83 इस बात पर जोर देती है कि पेटेंट का उद्देश्य भारत में व्यावसायिक रूप से काम किए जाने वाले आविष्कारों को बढ़ावा देना और उचित मूल्य पर पेटेंट किए गए आविष्कारों तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करना है।

o यदि पेटेंट की गई दवा जनता के लिए उचित रूप से सस्ती नहीं है, तो सीएल जारी किया जा सकता है।

2. सरकारी उपयोग लाइसेंस

o पेटेंट अधिनियम की धारा 100 केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पेटेंट की गई दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए लाइसेंस देने की अनुमति देती है।

o इस प्रावधान का उपयोग सस्ती दवाओं के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका सीमित उपयोग हुआ है।

3. अप्रचलित बायोसिमिलर दिशानिर्देश

o बायोसिमिलर अनुमोदन के लिए भारत के दिशानिर्देशों में पशु अध्ययन और नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता होती है, जो अब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे कड़े मानकों वाले देशों में अनिवार्य नहीं हैं।
o WHO और यू.के. के दिशानिर्देश बायोसिमिलर के लिए नैदानिक परीक्षणों को वैकल्पिक मानते हैं, फिर भी भारत अभी भी उन पर जोर देता है।
o इन दोहरावदार आवश्यकताओं को कम करने से घरेलू उत्पादकों पर समय और लागत का बोझ काफी कम हो सकता है, जिससे मरीजों की सस्ती दवाओं तक पहुँच बढ़ सकती है।

सरकारी नीतियों का गलत संरेखण

- कैंसर की दवाओं पर प्रस्तावित सीमा शुल्क छूट और आवश्यक दवाओं के लिए वैश्विक निविदा भारत के विधायी निर्देशों का खंडन करती है, जिसका उद्देश्य दवाओं की सामर्थ्य और स्थानीय उत्पादन में सुधार करना है।
- ये नीतियाँ घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकती हैं, जिससे आयात पर अधिक निर्भरता हो सकती है।
- घरेलू दवा क्षेत्र की प्रासंगिकता और विकास को बनाए रखने के लिए, सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने और स्थानीय विनिर्माण का समर्थन करने के लिए अपनी नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- महत्वपूर्ण दवाओं के लिए आयात पर निर्भर रहने के सरकार के हालिया फैसले घरेलू दवा उद्योग की फलने-फूलने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की क्षमता को खतरे में डालते हैं।
- जबकि पेटेंट संरक्षण और नियामक दिशानिर्देश महत्वपूर्ण प्रवेश बाधाएं पैदा करते हैं, पेटेंट अधिनियम के तहत सक्रिय उपाय और बायोसिमिलर अनुमोदन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण इन चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकता है।
- एक संतुलित दृष्टिकोण जो सामर्थ्य और आवश्यक दवाओं तक पहुँच बनाए रखते हुए स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है, भारत की दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा और दवा स्थिरता के लिए आवश्यक है।

भारतीय फार्मा की स्थिति

वर्तमान परिदृश्य:

o भारत दुनिया में कम लागत वाली वैक्सीन के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सा रखता है।
o भारत वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60% हिस्सा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनाता है।
o भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा है।
o फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1.72% का योगदान देता है।

- बाजार का आकार और निवेश: भारत दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

o भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है और इसकी गुणवत्ता, सामर्थ्य और नवाचार को बढ़ाते हुए वैश्विक फार्मा बाजार के आकार के लगभग 13% तक पहुंचने की उम्मीद है।
o ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

o ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिए, स्वचालित मार्ग से 74% तक और उससे अधिक सरकारी अनुमोदन के माध्यम से FDI की अनुमति है।
o अनुमान है कि 2030 के अंत तक भारतीय दवा बाजार का मूल्य 130 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- निर्यात: भारत में विदेशी निवेश के लिए फार्मास्यूटिकल शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। फार्मास्यूटिकल निर्यात दुनिया भर के 200 से अधिक देशों तक पहुँच गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजार शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2024 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का दवा और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 22.51 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो इस अवधि के दौरान साल-दर-साल 8.12% की मजबूत वृद्धि दर्ज करता है।

भारत में दवाओं का विनियमन कैसे किया जाता है?

- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940:**
  o औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 ने दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के लिए केंद्रीय और राज्य नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं।
  o यह आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए नियामक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):**
  o देश में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, निदान और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक और उपाय निर्धारित करता है।
  o नई दवाओं और नैदानिक परीक्षण मानकों के बाजार प्राधिकरण को नियंत्रित करता है।

- **भारत के औषधि महानियंत्रक:**
  o DCGI भारत सरकार के सीडीएससीओ के विभाग का प्रमुख है जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, आईवी तरल पदार्थ, टीके और सीरम जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
  o डीसीजीआई भारत में दवाओं के विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है।

GEO IAS
It's about quality

Arctic Council

- आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणापत्र द्वारा आर्कटिक राज्यों के साथ-साथ स्वदेशी समुदायों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

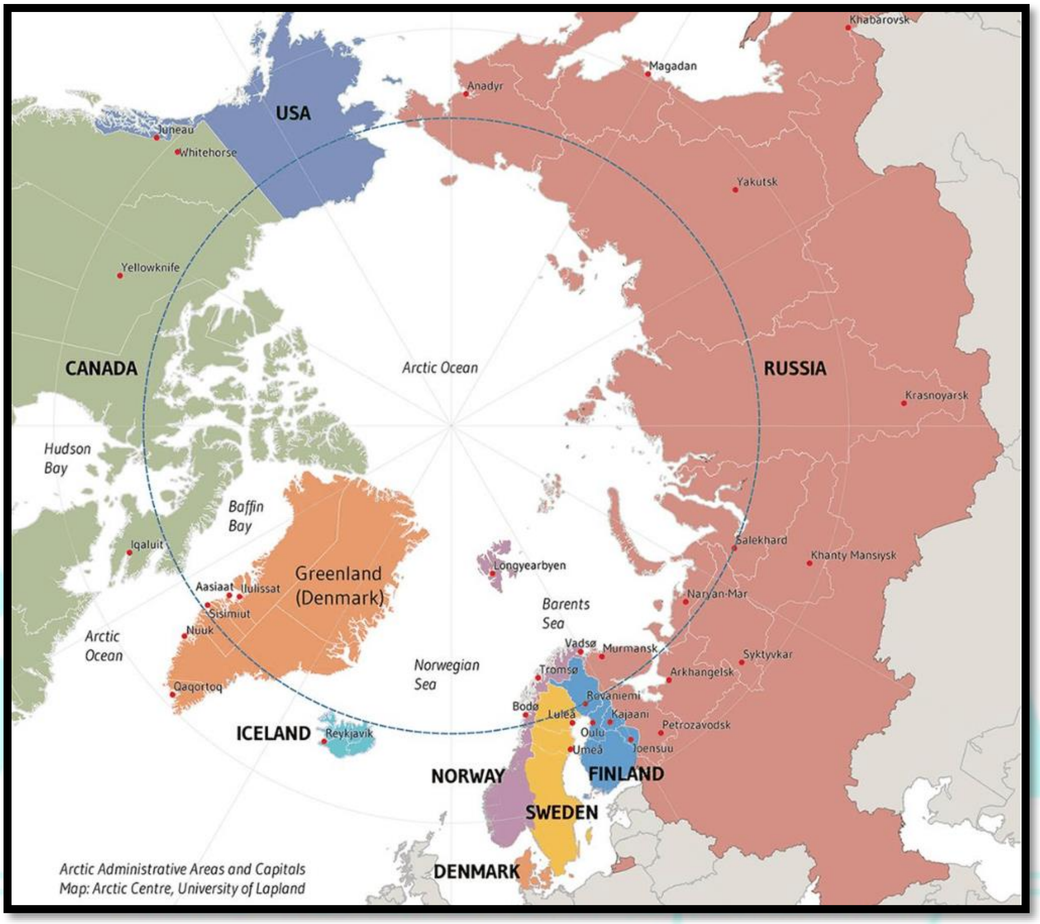

- परिषद में आठ परिध्रुवीय देश सदस्य राष्ट्र हैं और इसे आर्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने तथा स्वदेशी लोगों की अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है, जिनके संगठन परिषद में स्थायी भागीदार हैं।
- आर्कटिक परिषद सचिवालय: स्थायी आर्कटिक परिषद सचिवालय औपचारिक रूप से 2013 में ट्रोम्सो, नॉर्वे में चालू हो गया।
  - o परिषद में सदस्य, तदर्थ पर्यवेक्षक देश और "स्थायी भागीदार" हैं

GEO IAS

- आर्कटिक परिषद के सदस्य: आर्कटिक परिषद सचिवालय: स्थायी आर्कटिक परिषद सचिवालय औपचारिक रूप से 2013 में ट्रोम्सो, नॉर्वे में चालू हो गया।
  o इसकी स्थापना आर्कटिक परिषद की गतिविधियों को प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत स्मृति, संवर्धित संचार और आउटरीच और सामान्य समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी।
  o परिषद में सदस्य, तदर्थ पर्यवेक्षक देश और "स्थायी भागीदार" हैं
  o आर्कटिक परिषद के सदस्य: ओटावा घोषणापत्र में कनाडा, डेनमार्क साम्राज्य, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्कटिक परिषद का सदस्य घोषित किया गया है।
  o डेनमार्क ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स का प्रतिनिधित्व करता है।

- **स्थायी प्रतिभागी:**
  o अलेउत इंटरनेशनल एसोसिएशन (AIA),
  o आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल (AAC)
  o ग्विचिन काउंसिल इंटरनेशनल (GCI)
  o इनुइट सर्कम्पोलर काउंसिल (ICC)
  o रूसी एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द नॉर्थ (RAIPN)
  o सामी काउंसिल
- पर्यवेक्षक का दर्जा: यह गैर-आर्कटिक राज्यों के साथ-साथ अंतर-सरकारी, अंतर-संसदीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुला है, जिन्हें परिषद निर्धारित करती है कि वे इसके काम में योगदान दे सकते हैं। इसे परिषद द्वारा मंत्रिस्तरीय बैठकों में अनुमोदित किया जाता है जो हर दो साल में एक बार होती हैं
  o आर्कटिक काउंसिल के पर्यवेक्षक मुख्य रूप से कार्य समूहों के स्तर पर परिषद में अपनी भागीदारी के माध्यम से योगदान करते हैं।
  o पर्यवेक्षकों के पास परिषद में कोई मतदान अधिकार नहीं है।
  o 2022 तक, तेरह गैर-आर्कटिक राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
    - जर्मनी, 1998
    - नीदरलैंड, 1998
    - पोलैंड, 1998
    - यूनाइटेड किंगडम, 1998
    - फ्रांस, 2000
    - स्पेन, 2006
    - चीन, 2013
    - भारत, 2013
    - इटली, 2013
    - जापान, 2013
    - दक्षिण कोरिया, 2013

- सिंगापुर, 2013
- स्विटजरलैंड, 2017.

- स्थायी प्रतिभागी: 1998 में स्थायी प्रतिभागियों की संख्या दोगुनी होकर वर्तमान छह हो गई, क्योंकि अलेउत इंटरनेशनल एसोसिएशन (एआईए) और फिर 2000 में आर्कटिक अथाबास्कन काउंसिल (एएसी) और ग्विचिन काउंसिल इंटरनेशनल (जीजीआई) को स्थायी प्रतिभागी नियुक्त किया गया।
- पर्यवेक्षक का दर्जा: यह गैर-आर्कटिक राज्यों के साथ-साथ अंतर-सरकारी, अंतर-संसदीय, वैश्विक, क्षेत्रीय और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुला है, जिन्हें परिषद निर्धारित करती है कि वे इसके काम में योगदान दे सकते हैं। इसे परिषद द्वारा मंत्रिस्तरीय बैठकों में अनुमोदित किया जाता है जो हर दो साल में एक बार होती हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. डेनमार्क
2. जापान
3. रूसी संघ
4. यूनाइटेड किंगडम
5. संयुक्त राज्य अमेरिका

उपर्युक्त में से कौन 'आर्कटिक परिषद' के सदस्य हैं?

a) 1, 2 और 3
b) 2, 3 और 4
c) 1, 4 और 5
d) 1, 3 और 5

उत्तर: d)

GEO IAS
It's about quality